

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1659] No. 1659] नई दिल्ली, सोमवार, मई 27, 2019/ज्येष्ठ 6, 1941

NEW DELHI, MONDAY, MAY 27, 2019/ JYAISTHA 6, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2019

का.आ. 1856(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि कोयला उद्योग की सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 4 के अंतर्गत आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित की जानी चाहिए;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोयला उद्योग की सेवाओं को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अविध के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस. 11017/3/2018-आईआर(पीएल)] कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2019

S.O. 1856(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest requires that the services of coal industry, which is covered under entry 4 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

2654 GI/2019 (1)

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares from the date of publication of this notification the services of the coal industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017 /3/2018- IR(PL)] KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.